RAJASTHAN HIGH COURT BAR ASSOCIATION

High Court Building, Bhagwan Das Road, JAIPUR -302005 • Fax : 0141-2227410
E-mail : rhcbaj@gmail.com

PRESIDENT
Bhuwnesh Sharma

GENERAL SECRETARY
Girraj Prasad Sharma

VICE-PRESIDENTS :
Nidhi Khandelwal
Bharat Yadav

JOINT SECRETARY :
Vivek Sharma

SOCIAL SECRETARY :
Dipti Jain

LIBRARY SECRETARY :
Rajaram Chaudhary

JOINT LIBRARY SECRETARY :
Hitesh Kumar Bagri

TREASURER :
Vivek Joshi

EXECUTIVE MEMBERS :
Ashok Kumar Yadav
Shalini Sharma
Manoj Kumar Dixit
Hari Krishna Sharma
Kartar Singh Gurjar
Sanjay Mehla
Rajesh Kala
Alok Atreya

Co- Opted Members
Bhupendra Kumar Sharma
Ravi Meena

Special Invitee Members
Atar Singh Gurjar
Gajendra Singh Rathore

Ref: RHCBA/182/2022 दिनांकः–29/04/22

कार्यालय आदेशः

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के सदस्य अधिवक्ता **श्री गोवर्धन सिंह (आर/1274/2016)** एवं सदस्य अधिवक्ता **श्री परमेश्वर लाल पिलानिया (आर/1146/2016)** के विरूद्व लगभग 100 अधिवक्ता सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शिकायत मय अभ्यावेदन दिनांकित 20/04/2022 तथा लगभग 50 अधिवक्तागण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांकित 29/04/2022, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर को प्राप्त हुए ।

उक्त शिकायत मय अभ्यावेदनों में मुख्यतः उक्त दोनों सदस्य अधिवक्तागण के विरूद्व अधिवक्ता समुदाय व न्यायपालिका की गरिमा व प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने तथा अवैध वसूली, अधिवक्ता समुदाय की छवि को धूमिल करना, माननीय न्यायालय की अवमानना संबंधी कृत्य करना, दर्जनों आपराधिक प्रकरण इनके विरूद्व लम्बित होना एवं राजस्थान बार काउन्सिल में आपराधिक प्रकरणों के लम्बित होने का तथ्य छिपाकर रजिस्ट्रेशन करवाना इत्यादि आरोप उक्त अभ्यावेदनों में वर्णित किए गए हैं, साथ ही उक्त दोनों अभ्यावेदनों में अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह व अधिवक्ता श्री परमेश्वर लाल पिलानिया को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर से निष्कासित किए जाने तथा राजस्थान बार काउन्सिल से रजिस्ट्रेशन (सनद) रद्द किए जाने की अनुशंसा व कार्यवाही करवाए जाने की प्रार्थना की है ।

उक्त अभ्यावेदनों पर राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर की बैठक आहूत की गई तथा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के पदाधिकारियों द्वारा जानकारी जुटाते हुए उक्त अभ्यावेदनों, आहूत बैठक के प्रस्ताव व निर्णय तथा जानकारी के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट हुए कि अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह एवं अधिवक्ता श्री परमेश्वर लाल पिलानिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के एक जमादार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को जबरन 100/– रूपये दिए जाने का हाईकोर्ट परिसर, जयपुर का एक कथित विडियो आशयपूर्वक सोशल मिडिया पर जरिए फेसबुक व वॉट्सएप्प वायरल किया गया, साथ ही स्वंय को स्वतंन्त्रता सेनानी भगत सिंह बताते हुए माननीय न्यायाधिपतिगण व अन्य न्यायिक कर्मचारियों के विरूद्व अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणियों युक्त लिखित सन्देश भी सोशल मिडिया पर फैलाया गया जिससे कि सम्पूर्ण न्यायपालिका एवं अधिवक्ता समुदाय कि

RAJASTHAN HIGH COURT BAR ASSOCIATION

High Court Building, Bhagwan Das Road, JAIPUR -302005 • Fax : 0141-2227410
E-mail : rhcbaj@gmail.com

PRESIDENT
Bhuwnesh Sharma

GENERAL SECRETARY
Girraj Prasad Sharma

VICE-PRESIDENTS :
Nidhi Khandelwal

Bharat Yadav

JOINT SECRETARY :
Vivek Sharma

SOCIAL SECRETARY :
Dipti Jain

LIBRARY SECRETARY :
Rajaram Chaudhary

JOINT LIBRARY SECRETARY :
Hitesh Kumar Bagri

TREASURER :
Vivek Joshi

EXECUTIVE MEMBERS :
Ashok Kumar Yadav

Shalini Sharma

Manoj Kumar Dixit

Hari Krishna Sharma

Kartar Singh Gurjar

Sanjay Mehla

Rajesh Kala

Alok Atreya

Co- Opted Members
Bhupendra Kumar Sharma
9314611733
Ravi Meena
9950734594

Special Invitee Members
Atar Singh Gurjar
9829553355
Gajendra Singh Rathore
94136-78707

प्रतिष्ठा, छवि एंव गरिमा को क्षति पहुँची, क्योंकि यदि किसी भी न्यायिक कर्मचारी द्वारा रिश्वत या अन्य कोई राशि की माँग किसी भी अधिवक्ता या आमजन से की जाती है तो उक्त माँग के संबंध में सर्वप्रथम राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन या राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर या अन्य किसी विभाग में परिवाद व शिकायत प्रस्तुत की जाती है, किन्तु उक्त दोनों अधिवक्तागण द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत न तो राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को दी गई और न ही राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जबकि बधाई व ईनाम की राशि उदाहरण स्वरूप अस्पताल में बच्चा पैदा होने पर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को या किसी भी रेस्टोरेन्ट में अच्छा भोजन व सुविधा मिलने पर बख्शीश/ टिप के रूप में स्वैच्छा से बिना किसी माँग के दी जाती है जो हर किसी व्यक्ति के दिए जाने का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, इस प्रकार के पारितोषिक / बधाई/ ईनाम/ बख्शीश की राशि को रिश्वत का नाम दिया जाकर, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने व कुत्सित आशय की पूर्ति हेतु कथित फर्जी विडियो सोशल मिडिया पर वायरल किया गया है जो सरासर तौर पर न्यायपालिका, सम्पूर्ण अधिवक्ता समुदाय व वकालत के प्रतिष्ठित व्यवसाय की छवि, प्रतिष्ठा व गरिमा को क्षति पहुँचाने वाला तथा माननीय न्यायालय की अवमानना की परिधि में आता है । अतः राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर उक्त कथित विडियो व लिखित सन्देश को वायरल करने के कृत्य की घोर निन्दा करते हुए कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है । उक्त कृत्य अशोभनीय, अमर्यादित एवं सर्वथा निन्दनीय है ।

अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह के विरूद्व दर्जनों मुकदमें लम्बित होने का तथ्य भी प्रथमदृष्टया प्रमाणित प्रतीत होता है तथा माननीय उच्च न्यायालय में व अन्य विभिन्न न्यायालयों में दौराने सुनवाई विपक्षी अधिवक्तागण व माननीय न्यायाधिपतिगण तथा अन्य माननीय न्यायाधीशों के साथ अभद्रता करना तथा न्यायालय कक्ष में दौराने सुनवाई माहौल को खराब करने का तथ्य भी सामने आया है जो कि स्वयंमेव अवमानना की श्रेणी में आता है । दोनों अधिवक्तागण द्वारा माननीय न्यायाधिपतिगण के विरूद्व भी दौराने सुनवाई झूँठे आरोप लगाए गए तथा उन पर अनावश्यक दबाव बनाने एवं मनमाफिक फैसला लेने के लिए और सुनवाई से रोकने

RAJASTHAN HIGH COURT BAR ASSOCIATION

High Court Building, Bhagwan Das Road, JAIPUR -302005 • Fax : 0141-2227410
E-mail : rhcbaj@gmail.com

PRESIDENT
Bhuwnesh Sharma
Office & Residence :

GENERAL SECRETARY
Girraj Prasad Sharma
Office & Residence :

VICE-PRESIDENTS :
Nidhi Khandelwal

Bharat Yadav

JOINT SECRETARY :
Vivek Sharma

SOCIAL SECRETARY :
Dipti Jain

LIBRARY SECRETARY :
Rajaram Chaudhary

JOINT LIBRARY SECRETARY :
Hitesh Kumar Bagri

TREASURER :
Vivek Joshi

EXECUTIVE MEMBERS :
Ashok Kumar Yadav

Shalini Sharma

Manoj Kumar Dixit

Hari Krishna Sharma

Kartar Singh Gurjar

Sanjay Mehla

Rajesh Kala

Alok Atreya

Co- Opted Members
Bhupendra Kumar Sharma

Ravi Meena

Special Invitee Members
Atar Singh Gurjar

Gajendra Singh Rathore

के लिए न्यायालय कक्ष में बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए माहौल खराब किया गया । उक्त कृत्य की भी राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर भर्त्सना करते हुए कड़े शब्दों में निन्दा करती है ।

उपरोक्त वर्णित आधार पर अधिवक्ता **श्री गोवर्धन सिंह** (आर/1274/2016) व अधिवक्ता **श्री परमेश्वर लाल पिलानिया** (आर/1146/2016) द्वारा न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने, माननीय न्यायालय व माननीय न्यायाधिपतिगण की अवमानना करने, लम्बित आपराधिक प्रकरणों का तथ्य छिपाकर रजिस्ट्रेशन करवाने, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कथित फर्जी विडियो व सन्देश वायरल करने एवं वकालत के प्रतिष्ठित व्यवसाय की आड़ में स्वंय के निजी कुत्सित स्वार्थ की पूर्ति करने व राजनीतिक लाभ लेने का कृत्य करने के आधार पर दोनों अधिवक्ता सदस्यों को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर से निष्कासित करते हुए दोनों की सदस्यता रद्द/निरस्त की जाती है एवं राजस्थान बार काउन्सिल, जोधपुर को इस कार्यालय आदेश के साथ पृथक से अनुरोध पत्र लिखा जाकर, अनुशंसा करते हुए, प्रार्थना की जाती है कि उक्त दोनों अधिवक्तागण के विरूद्व 2 माह की अवधि में जाँच की जाकर दोनों अधिवक्तागण का रजिस्ट्रेशन/सनद् रद्द/निरस्त करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर को सूचित करने का श्रम करें ।

भवदीय,

(भुवनेश शर्मा)
अध्यक्ष
President
Rajasthan High Court
Bar Association, JAIPUR

(गिर्राज प्रसाद शर्मा)
महासचिव
General Secretary
Rajasthan High Court
Bar Association, JAIPUR

प्रतिलिपिः–

1. माननीय चेयरमेंन, बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान, जोधपुर ।
2. अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री भरत सिंह, नरसिंह सागर तालाब के पास, सर्वोदय बस्ती, बीकानेर, हाल बी/बी–2, नवलखा अर्पाटमेंन्ट, भारत माता पथ, सी–स्कीम, जयपुर । (आर/1274/2016) मो. न. –9828090666
3. अधिवक्ता श्री परमेश्वर लाल पिलानिया पुत्र श्री भँवरलाल पिलानिया, वार्ड नं. 11, ग्राम–भोमपुरा, पोस्ट–सान्दवा, तहसील–बिदासर, जिला–चुरू हाल बी/बी–2,नवलखा अर्पाटमेंन्ट, भारत माता पथ, सी–स्कीम, जयपुर । (आर/1146/2016) मो. न. –9982791117